राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5646/2022

श्रवण राम विश्नोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, राजसमन्द।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.10.2022
आदेश की दिनांक : 28.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर रेंज देसूरी, उप वन संरक्षक, राजसमन्द में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से माचिया, बायलॉजिकल पार्क, उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जोधपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर किया गया है क्योंकि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया। उसका पद आज भी रिक्त है। अपीलार्थी की हमेशा संतोषजनक सेवाएं रही हैं, उसके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही। उनका तर्क है कि कुछ लोग जो अवैध तरीके से पेड़ काटते हैं, उनकी शिकायत करने के आधार पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के साथ अन्य कार्मिकों का स्थानान्तरण किया गया, परंतु

उनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.10.2022 के द्वारा लगभग 20 कार्मिकों का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया लेकिन अपीलार्थी का स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया। उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 02.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वनपाल के पद पर रेंज देसूरी, उप वन संरक्षक, राजसमन्द में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध स्थानीय लोगों की शिकायत करने के आधार पर स्थानान्तरण किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि के समक्ष किसी भी कार्मिक की शिकायत करने का उन्हें अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Mohd. Masood Ahmed V State of U.P.

2007(11) Scale 271 निर्णय में भी इस तरह से शिकायत करने को उचित माना है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)